

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं०... 708... 2021

आवेदन सं०... 708... 2021

1. चूंकि श्री. Atul Singh Post No. 708, Road No. 13 निवासी निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों पर और अवभारों का सूचिवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण 2)

इसलिए मैं इनके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पत्तियों और अवभारों के बारे में बही 1 में और पुराने ताम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 2007 में ता. 2011/12 तक तलाश की गई और देखी जासकती के बाद निम्न सम्पत्तियों और अवभारों का पता पता है।

क्रम सं०	क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पत्तन की तारीख	ख) वस्तावेज प्रकार और पृष्ठ	पत्तों के नाम		वस्तावेज की प्राप्ति के प्रति गिरी		
				निष्पत्तक	शब्दशर	पृष्ठ 1	पृष्ठ 2	पृष्ठ 3
	<p>नाम - <u>Sardar 08</u></p> <p>Total Area - <u>09.90 dec</u> (Nine Point Ninety dec)</p> <p><u>NIL</u></p>			<u>Plot No. 98</u>	<u>Plot No. 3521</u>		<u>3522</u>	


- क) वस्तावेज को अनुसार विवरण दर्ज करे। Raj Kumar Chatterjee
- ख) 1. संपत्ति-पत्र की बंशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करे; बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टा की बंशा में पट्टे की अधिप और वार्षिक लगान दर्ज करे।

Search made by me
Raj An Chatterjee

(3)


में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवभारों पर छोड़, उक्त संपत्ति की प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - *Clark*

तलासी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - *Clark*

कार्यालय *Dist. Sub. Registry Office*

गुहा



तारीख 04.09.2021

निम्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा गथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण की अनुसूची में आये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण में कहीं कहीं अज्ञात संपत्तियों की निम्नलिखित बातों के बारे में दिखाया गया हो, तो यही दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नलिखित अधिनियम की धारा १७ के अधीन जो व्यक्ति बहिष्कृत और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रक्रियाओं में शामिल हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि होगा या हो अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जाँच हो उन्हें तलासी तैयार करना होगा। विहित क्रीम का गुणवत्ता करने पर बहिष्कृत और अनुक्रमणियों उनके सम्बन्ध में रख दी जायेगी।

क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने गारंटी सत्यापन से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की विरती भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी तैयार नहीं की और चूंकि उन्होंने द्वारा दिये गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की गूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

Registrar